

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 870) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अक्तूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 19 **अक्तूबर 2023**

अधिसूचना संख्या 20/2023-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 353, दिनांक 19 अक्तूबर 2023-- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12,2017) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 548, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी.अर्थात:-

<u> </u>			
(1)	(2)	(3)	
"6 कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री	
		धागा या सूत	
		स्पष्टीकरणः यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर	
		इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी ।";	

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/ विविध-21/2017 (खंड-17) 20)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

19 अक्तूबर 2023

एस० ओ० 353, दिनांक 19 अक्तूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—17) 20)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 19th October 2023 Notification No. 20/2023- State Tax (Rate)

S.O. 353, Dated 19th October 2023-- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 5/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 548, dated the 29th June, namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating

thereto, following S.No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film
		/plastic film;
		Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on
		polyester film /plastic film";

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 20)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 870-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in